कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला करौली राज0 !!

प्रेस–नोट

दिनांकः– 08.08.2018

➢ ***04 जुआरी गिरफ्तार जुआ राशि 4100 रूपये जप्त –***

पुलिस अधीक्षक करौली, अजयसिंह के निर्देशन में जिले में अवैध जुआ/सट्टा के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 7.08.2018 को थाना लांगरा द्वारा कार्यवाही करते हुए 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जुआ राशि 4100/– रूपये जप्त करने में सफलता हांसिल हुई है।

थाना लांगरा –

1. दिनांक 7.8.2018 को कमलराम हैड कानि. 40 को जरिये मुखबिर सूचना मिली की नापतेकापुरा में कुछ लोग ताश के पत्तों पर रूपयों का दाव लगाकर जुआ खेल रहे है। उक्त सूचना पर नापतेकापुरा से आरोपी 1. बनबारी पुत्र मुरारी जाति सैन निवासी भूरेकापुरा 2. उदयसिंह पुत्र बीरबल जाति मीना निवासी भूरेकापुरा को गिरफ्तार कर आरोपीयों के कब्जे से 52 पत्ता ताश व जुआ राशि 2160/– रूपये बरामद कर अभियोग संख्या 68/18 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में पंजीबद्व किया गया।
2. दिनांक 7.8.2018 को फत्तेलाल हैड कानि. 1514 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि गंगारामकापुरा तन गुरदेह में कुछ लोग ताश के पत्तों पर रूपयों का दाव लगाकर जुआ खेल रहे है। उक्त सूचना पर गंगारामकापुरा से आरोपी 1. धर्मसिंह पुत्र चीमा जाति जाटव निवासी नापतेकापुरा 2. लालाराम पुत्र श्रीपत जाति मीना निवासी भूरेकापुरा थाना लांगरा को गिरफ्तार कर आरोपीयों के कब्जे से 52 पत्ता ताश व जुआ राशि 2040/– रूपये बरामद कर अभियोग संख्या 69/18 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में पंजीबद्व किया गया।

➢ ***222 पव्वे अवैध देशी शराब व 18 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब जप्त, 02 आरोपी गिरफ्तार –***

थाना लांगरा –

1. दिनांक 7.8.2018 को परमजीत उपनिरीक्षक थानाधिकारी लांगरा को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति लांगरा से चौधरीपुरा की तरफ अवैध देशी शराब लेकर जा रहा है। उक्त सूचना पर आरोपी राजाराम पुत्र रामचन्द जाति मीना निवासी चौधरीपुरा थाना लांगरा को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 96 पव्वा अवैध देशी शराब के जप्त कर अभियोग संख्या 70/18 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट में पंजीबद्व किया गया है।
2. दिनांक 7.8.2018 को परमजीत उपनिरीक्षक थानाधिकारी लांगरा को दौराने गश्त जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति आम सडक लांगरा से ककना की तरफ अवैध शराब लेकर जा रहा है। उक्त सूचना पर आरोपी रामकेश पुत्र हरीराम जाति माली निवासी ढहर को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 126 पव्वा अवैध देशी शराब व 18 पव्वा अग्रेंजी आफिसर च्वाईस के जप्त कर अभियोग संख्या 71/18 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट में पंजीबद्व किया गया है।

➢ ***राजकार्य में बाधा पहुॅचाने के आरोपी गिरफ्तार –***

थाना नादौतीः– दिनांक 17.7.2018 को राधेश्याम पुत्र रामकिशोर जाति मीना निवासी कैमला हाल सहायक लेखाधिकारी पंचायत समिति नादौती के द्वारा मारपीट कर राजकार्य में बाधा पहुॅचाने का अभियोग संख्या 174/18 धारा ,353, ता0हि0 में पंजीबद्व कराया था। जिसमें बाद अनुसंधान आरोपी श्रीफल पुत्र नाथूलाल जाति मीना निवासी गोठरा दलपुरा थाना नादौती 2. नाथूलाल पुत्र गंगाधर दत्तक पुत्र भूरया जाति मीना निवासी गोठरा दलपुरा थाना नादौती को दिनांक 7.08.2018 को मोहनसिंह सहायक उपनिरीक्षक के द्वारा गिरफ्तार किया गया।

➢ ***फर्जीवाडा करने का आरोपी गिरफ्तार –***

थाना सूरौठः– दिनांक 8.02.2018 को निर्मल पुत्र खिलौनाराम जाति जाट निवासी विजयपुरा थाना सूरौठ के द्वारा एफडी व आरडी के द्वारा राशि जमा कर दुगना ब्याज देकर फर्जीवाडा करने का अभियोग संख्या 47/18 धारा 420,406,467,168,120बी ता0हि0 में पंजीबद्व कराया था जिसमें बाद अनुसंधान आरोपी दिलीप पुत्र रामावतार जाति जैन निवासी 104 देव कृष्णा अपार्टमेन्ट नई सडक लश्कर ग्वालियर (एम.पी) को प्रोडेक्शन वारन्ट पर जेल हिण्डौन से दिनांक 7.08.2018 को रामकेश सहायक उप निरीक्षक के द्वारा गिरफ्तार किया गया।